

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 22 जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.वन. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 780(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, -

(i) पृष्ठ 41 की पंक्ति 40 में "□□□□□" का लोप करें ।

[फा.सं.]

354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार